लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बरः—256/2018 प्रार्थना पत्र
। रुकमा देवी पत्नि देबीलाल तेली, उम्र बालिग निवासी सांगानेरी गेट—तिलकनगर, मैन रोड़,
ड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———प्रार्थीया

बनाम

धनराज पिता लोभचन्द खटीक, उम्र बालिग निवासी रामदेव मंदिर के पास, कोली मोहल्ला—
लवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
निर्मल पिता लोभचन्द खटीक, उम्र बालिग निवासी रामदेव मंदिर के पास, कोली मोहल्ला—
लवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
मति लक्ष्मीदेवी पत्नि लोभचन्द खटीक, उम्र बालिग निवासी रामदेव मंदिर के पास, कोली मोहल्ला—
लवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—25.2.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू— अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ईरांस हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 5435/3538 रकवा 2 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। ामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 6 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 6 को ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2. को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम ईरांस पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल जी नम्बर 5435/3538 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को /–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में गढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner